



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 ई०

श्रावण 03, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या 1/316496/VIII-1/25-53(श्रम)/2019 (ई० 89324)

देहरादून, 25 जुलाई, 2025

### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था और जनजीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और नियोजन को बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक है। अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3(ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं, कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी।

### आदेश

उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या- 1/116606/VIII/23-53(श्रम)/2019, दिनांक 24.04.2013 सपटित उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 5692(एच०आई०)/36-2-110 (एच०आई०) /77, दिनांक 27.09.1988, जिसके द्वारा राज्य में समस्त वैक्यूम पैन चीनी के कारखानों के कर्मकारों के नियोजन की सेवाशर्त निर्धारित की गयी है, की उत्तराखण्ड राज्य में लागू रहने की अवधि उसके समाप्त होने की दिनांक 25.09.2024 से दिनांक 24.09.2029 तक अर्थात् 05 वर्ष के लिये बढ़ायी जाती है।

आज्ञा से,

श्रीधर बाबू अददांकी,  
सचिव।